र सीमा बनाती है। जिसके कारण उभयपक्ष के मध्य वास्तविक सीमा रेखा की त को लेकर विवाद होनें से इन्कार नहीं किया जा सकता। खातेदारान् के मध्य जी को लेकर किसी प्रकार का सीमा विवाद न हो इसके लिए यह आवश्यक है कि तकारों को उनकी खातेदारी भूमि की सीमाओं का सही-सही ज्ञान हो। राजस्थान भू त्व अधिनियम, 1956 की धारा 128 में प्रावधान है कि काश्तकारों के मध्य ा-विवादों का निस्तारण धारा 111 में विहित प्रक्रिया से किया जावे। अतः हम ना-पत्र, प्रार्थीगण स्वीकार करना विधिसंगत समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होने एवं सारवान से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि ग्राम -1, पटवार हल्का- रास-1, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र- रास, तहसील-जैतारण, ा-ब्यावर में स्थित प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 1575 रकबा 0.5666 हैक्टेयर म बारानी दोयम व खसरा नंबर 1576 रकबा 0.6070 हैक्टेयर किस्म बारानी म एवं अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 1574 रकबा 0.7851 हैक्टेयर किस्म सोयम व खसरा नंबर 1581 रकबा 0.8822 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल के तेदारान के मध्य राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित क्या का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण हर्जे खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा-विभाजक रोपित वें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित । तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित कर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
जैतारण (ब्यावर)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)

-य आज दिनॉक 28/11/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
जैतारण (ब्यावर)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)